भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 89

दिनांक 02 फरवरी, 2021 को उत्तर देने के लिए

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियां

89. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.)/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) तथा कॉर्पोरेटों द्वारा व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) राशि के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सी.एस.आर. से लाभान्वित महिला संगठनों अथवा सोसाइटियों अथवा महिलाओं की संख्या कितनी हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल की गई सूचना के आधार पर कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों (30.09.2020 तक) के दौरान पीएसयू सहित सभी कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर धनराशि निम्नलिखित है:

पीएसयू/गैर पीएसयू	कुल कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय धनराशि (रूपए करोड़ में)	कुल कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय धनराशि (रूपए करोड़ में)	कुल कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय धनराशि (रूपए करोड़ में)
पीएसयू	535	2704.32	609	3835.50	14	438.29
गैर पीएसयू	20915	11185.53	24323	14819.32	1061	7384.21
कुल जोड़	21450	13889.86	24932	18654.82	1075	7822.50

(ग) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों में महिलाओं को लाभ शामिल है तथापि, विभाग द्वारा महिला संगठनों/सोसाइटियों/महिलाओं की संख्या का पृथक ब्यौरा केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं किया जाता है।

******